

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

गण है, कि बकालीदार काश्तकार की कामती
जही ली जही है, और ना ही धार्षिकी द्वारा
हुकम बकालीदारो को हुकम में पसकार बना
गया है। पडोसी काश्तकार को बुने बिना
हुकम में निर्णय किया जाना न्याय संगत एवं
सिद्ध संगत नही है। ऐसी स्थिति में हुकम
को बकीकार नकले जाने से अखिल में वाक
की बहु आपना खेती एवं मोके पर काश्तकारो
के मध्य वेकाड की स्थिति पैदा होगी। इसके
विपरित न्यायलय का उद्देश्य है कि वो जैसे
हकमतो को बढावा नही देवे।

अतः उपरोक्त विवेचन के अलावा में
धार्षिकी का हार्पना पर अन्तर्गत धारा 136
लिए रिक्नु एवर वादग्रस्त भूमि के पडोसी
काश्तकारो को धार्षिकी पर में आवश्यक
पसकार नही बनाये जाने के कारण अस्वीकार
किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि
हुकम में संबंधित काश्तकारो को आवश्यक
पसकार बनाकर पुनः धार्षिकी पर आवश्यक
अनुलोम धार्षिकी कर सकते हैं।

पडावली केसल शुमार होकर नम्बर से
कम है। इतिरूप प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)